16/12/25

आज पत्रावली सुनाये जाने आदेश प्रस्तुत हुई वकील पक्ष० उपस्थित है। वादी का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया है स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.मि. हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला रेकर्ड अफसर हो सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

[वाद] संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
[..]67 / 24	04 / 07 / 24	16 / 12 / 25

// उनवान //

1. जीतराम पुत्र श्री छीतर
2. प्रेमपाल
3. बलवान पुत्र श्री मातादीन
4. कैलाश
5. किरोस्ता पुत्रीयान मातादीन
6. कमला पत्नि मातादीन
7. धर्मपाल
8. राजपाल
9. धूंधा पत्नि हरिसिंह
10. अनिता पुत्री बलबीर
11. दिपेन्द्र पुत्र श्री बलबीर
12. कमलसिंह पुत्र श्री जलेसिंह
13. बनीता पुत्री बलबीर
14. बिरमा देवी पत्नि जलेसिंह
15. ललिता पुत्री बलबीर
16. विमला पत्नि जलेसिंह
17. सुनिता पुत्री बलबीर
18. गंगाराम
19. धर्मसिंह पुत्रान श्री जग्गल उर्फ जगराम
20. जगमाल पुत्र श्री हीरा
21. राजवीर
22. जितेन्द्र पुत्रान श्री सुरेन्द्र
23. सुशीला पत्नि सुरेन्द्र
24. सरिता महलावत
25. सुनिता महलावत पुत्रीयान सुरेन्द्र जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. संतोष पत्नि मामचन्द
2. नरेश
3. राकेश पुत्रान श्री मामचन्द
4. फतेहसिंह
5. निहाल पुत्रान श्री मामचन्द
6. मुरेती पत्नि ख्याली

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

महेशचन्द

मोहनसिंह पुत्रान श्री टेकचन्द

जसवन्त

धर्मचन्द पुत्रान श्री मंगी

मूर्ती देवी पत्नि मंगी

बनवारीलाल पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

—: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादीगण श्री रणवीरसिंह यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सत्यवीर चौधरी।

निर्णय दिनांक :– 16/12/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

यह है कि आराजी हाल खाता संख्या 165 खसरा नम्बर 615 रकबा 0.20 हैक0, हाल खाता संख्या 167 खसरा नम्बर 591 रकबा 0.43 हैक0, हाल खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 68 रकबा 0.01 हैक0, 69 रकबा 0.31 हैक0, वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

यह है कि सम्वत 2078 के खाता संख्या 165 में वादीगण संख्या 1 ल0 17 के पिता व दादा छीतर पुत्र मोहकम व छीतर के वारिस बलवीर के नाम व वादी जगमाल के पिता व ताऊ के नाम शिकमी व बकाश्त के रूप में गलत अंकन कर दिया गया है।

यह है कि हाल खाता संख्या 165 के राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी के रूप में पार्वती पुत्री अबजी का नाम दर्ज हो रहा है जो लावल्द फौत हो चुकी है। छीतर पुत्र मोहकम वादी संख्या 1 ल0 17 के पिता व दादा है बलवीर वादी के परिवार का सदस्य है जिनके वारिस वादी संख्या 10, 11, 14, 15, 17 है। मंगी पुत्र श्योदान फौत हो गया जिसके वारिस जसवन्त, धर्मचन्द, मूर्ती देवी प्रतिवादी की जद में पक्षकार है। सवाई पुत्र तोता का नाम शिकमी के रूप में दर्ज है जो फौत हो गया जिसका वारिस प्रतिवादी बनवारीलाल प्रतिवादी की जद में पक्षकार है। जग्गल उर्फ जगराम पुत्र जयराम के नाम भी शिकमी के रूप में दर्ज हो रहा है उक्त व्यक्ति भी फौत हो गया जिसके वारीस वादी गंगाराम व धर्मसिंह हैं।

यह है कि हाल खाता संख्या 167 में मोहरसिंह, ख्याली पुत्रान चेतराम व टेकचन्द पुत्र छाजूराम शिकमी के रूप में नाम दर्ज है उक्त व्यक्ति फौत अर्सा पूर्व हो चुके है जिनके वारिसान निहालसिंह, फतेहसिंह, मुरेती देवी है मोहरसिंह के वारिसान संतोष पुत्री नरेश, राकेश पुत्रान मामचन्द है। टेकचन्द के वारिसान महेश मोहनसिंह पुत्रान टेकचन्द है बलवीर व किशोर (रामकिशोर) वादी संख्या 1 ल0 17 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम के वारिस है जो फौत हो चुके है।

यह है कि हाल खाता संख्या 65 में शिकमी के रूप में शादीराम, हीरालाल, ग्यारसी पुत्रान प्रसाद के नाम जमाबन्दी में अंकित हो रहे है जिनमें से शादीलाल व ग्यारसी लावल्द लावारिस फौत

सहायक कलक्टर (फा0टे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके है एवं हीरालाल भी फौत हो चुका है जिसका वारिस जगमाल वादी है।

6. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार मतादीन पुत्र छीतर, सुरेन्द्र पुत्र हुकमसिंह है जिनकी विरासत दर्ज नहीं रही है। राजस्व जमाबन्दी में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज होने के कारण मृतको के वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हो रहे है। पार्वती पुत्री अबजी लावल्द फौत हो चुकी है।

7. यह है कि आराजी मुतनाजा में वादीगण के नाम खातेदार के साथ–साथ दीगर व्यक्तियों के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि उक्त शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों व उनके वारिसान का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा में विरासत दर्ज कराने विक्रय करने, क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे है इसलिए आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड मुं हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को वादीगण मुस्तहक है। अराजी हाल खाता संख्या 165 ख0न0 615/0.20 हैक्0, हाल खाता संख्या 167 ख0न0 591/0.43 हैक्0, हाल खाता नम्बर 65 खसरा नम्बर 68/0.01 हैक्0, 69/0.31 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में खाता सं0 165 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के "अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह खातेदार शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मुंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" के गलत अंकन को व खाता सं0 167 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5" के गलत अंकन को व खाता संख्या 65 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 हाल 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के गलत अंकन को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 13 को सादिर फरमाये जावें।

8. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। वादीगण आराजी मुतनाजा के मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की खानदानी आराजी है जिस पर अपने पूर्वजो के समय से नसलन दर नसलन काबिज होकर काश्त कार्य शांति पूर्वक व निरन्तर करते आ रहे है। मौके पर वदीगण अपने सालिम रकबे पर काबिज है वादीगण के पूर्वज व वादीगण पेशे से काश्तकार है काश्त कार्य ही आजीविका का मुख्य स्त्रोत रहा है और वादीगण ही आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा से दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबन्ध व सरोकार नहीं है ना ही कभी किसी दीगर व्यक्तियों का आराजी पर वादीगण की मर्जी के खिलाफ कब्जा रहा है।

9. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण मौके पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात कर रखें है जिन व्यक्तियों के नाम शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज कर रखें है उक्त व्यक्ति अर्सा दराज करीब कोई 40 साल पूर्व तो कोई 50–60 साल पूर्व फौत हो चुके है। लेकिन इसके बावजूद भी मृतक व्यक्तियों की आराजी पर काश्त करने के इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रखें है राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात बेजा, पौशिदा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर रखें है जो हर सूरत में काबिल कलमजन किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

यह है कि आराजी मुतनाजा में हो रहे गलत इन्द्राजात की जानकारी अब दिनांक 10.06.24 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड देखने पर हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 13 से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 13 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहते हुये राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने से मना कर दिया इसलिए दावा पेश करना लाजिमी आया है।

यह है कि आराजी मुतनाजा में हो रहे गलत इन्द्राजात की जानकारी अब दिनांक 10.06.2024 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड देखने पर हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 13 से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 13 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहते हुये राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 13 के खिलाफ दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस के अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80(2) जाप्ता दीवानी अलग से संलग्न वाद है।

यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।

यह है कि दावा हाजा पर दो रूपयें कोर्ट फीस चस्पा है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी हाल खाता संख्या 165 ख0न0 615/0.20 हैक्0, हाल खाता संख्या 167 ख0न0 591/0.43 हैक्0 हाल खाता संख्या 65 ख0न0 68/0.01 हैक्0, 69/0.31 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में आराजी खाता संख्या 165 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह खातेदार शिकमी साल 9.5 बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" के गलत अंकन को व खाता संख्या 167 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5"के गलत अंकन को व खाता संख्या 65 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के गलत अंकन को वादीगण के हिस्से से कलमजन किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी स0 13 को सादिर फरमाये जावे।

(ब) दीगर दादरसी –

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की तरफ से ईकबाल जवाब दावा एवं प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार मुण्डावर की तरफ से क्रमांक /2025/8603 दिनांक 09.10.2025 मौका कब्जा रिपोर्ट पेश की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार विवादित खसरा नम्बर पर मूल काश्तकार द्वारा काश्त किया जाना बताया गया है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 जीतराम पुत्र छीतर, पीडब्लयू–2 बनवारी पुत्र सवाईसिंह पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 किता 2 प्रदर्श 1 अंकित कराया गया शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वकीलवादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस अन्तिम सुनी गई दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिमनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 165 खसरा नम्बर 615 रकबा 0.20 हैक्0, हाल खाता संख्या 167 खसरा नम्बर 591 रकबा 0.43 हैक्0, हाल खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 68 रकबा 0.01 हैक्0, 69 रकबा 0.31 हैक्0, वाके ग्राम नंगली औझावादीगण के नाम खातेदार के साथ–साथ दीगर व्यक्तियों के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि उक्त शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों व उनके वारिसान का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा में विरासत दर्ज कराने विक्रय करने, क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे है इसलिए आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड मुें हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को वादीगण मुस्तहक है। अराजी हाल खाता संख्या 165 ख0न0 615/0.20 हैक्0, हाल खाता संख्या 167 ख0न0 591/0.43 हैक्0, हाल खाता नम्बर 65 खसरा नम्बर 68/0.01 हैक्0, 69/0.31 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में खाता सं0 165 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के ''अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाशत पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह खातेदार शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मुंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5'' के गलत अंकन को व खाता सं0 167 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद ''अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5" के गलत अंकन को व खाता संख्या 65 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 हाल 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के गलत अंकन को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण मौके पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात कर रखें है जिन व्यक्तियों के नाम शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज कर रखें है उक्त व्यक्ति अर्सा दराज करीब कोई 40 साल पूर्व तो कोई 50–60 साल पूर्व फौत हो चुके है। लेकिन इसके बावजूद भी मृतक व्यक्तियों की आराजी पर काश्त करने के इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रखें है राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात बेजा, पौशिदा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर रखें है जो हर सूरत में काबिल कलमजन किये जाने योग्य है। डक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी हाल खाता संख्या 165 ख0न0 615/0.20 हैक्0, हाल खाता संख्या 167 ख0न0 591/0.43 हैक्0 हाल खाता संख्या 65 ख0न0 68/0.01 हैक्0, 69/0.31 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में आराजी खाता संख्या 165 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह खातेदार शिकमी साल 9.5 बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" के गलत अंकन को व खाता संख्या 167 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5"के गलत अंकन को व खाता संख्या 65 में

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद "अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के गलत अंकन को वादीगण के हिस्से से कलमजन किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें। तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की आराजी खाता संख्या 165 के खसरा नम्बर 615 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त पार्वती पुत्र अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** एवं खाता संख्या 167 के खसरा नम्बर 591 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** व खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 68, 69 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 हाल 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तथा **राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **16.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

...ायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
/24	04 / 07 / 24	16 / 12 / 25

// उनवान //

जीतराम पुत्र श्री छीतर
प्रेमपाल
बलवान पुत्र श्री मातादीन
कैलाश
किरोस्ता पुत्रीयान मातादीन
कमला पत्नि मातादीन
धर्मपाल
राजपाल
धूंधा पत्नि हरिसिंह
.. अनिता पुत्री बलबीर
.. दिपेन्द्र पुत्र श्री बलबीर
..2. कमलसिंह पुत्र श्री जलेसिंह
..3. बनीता पुत्री बलबीर
..4. बिरमा देवी पत्नि जलेसिंह
..5. ललिता पुत्री बलबीर
..6. विमला पत्नि जलेसिंह
..7. सुनिता पुत्री बलबीर
..8. गंगाराम
..9. धर्मसिंह पुत्रान श्री जग्गल उर्फ जगराम
..20. जगमाल पुत्र श्री हीरा
..21. राजवीर
..22. जितेन्द्र पुत्रान श्री सुरेन्द्र
..23. सुशीला पत्नि सुरेन्द्र
..24. सरिता महलावत
..25. सुनिता महलावत पुत्रीयान सुरेन्द्र जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान। :– **वादीगण**

बनाम

1. संतोष पत्नि मामचन्द
2. नरेश
3. राकेश पुत्रान श्री मामचन्द
4. फतेहसिंह
5. निहाल पुत्रान श्री मामचन्द
6. मुरेती पत्नि ख्याली
7. महेशचन्द
8. मोहनसिंह पुत्रान श्री टेकचन्द

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

9. जसवन्त
10. धर्मचन्द पुत्रान श्री मंगी
11. मूर्ती देवी पत्नि मंगी
12. बनवारीलाल पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

—: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—वकील वादीगण श्री रणवीरसिंह यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सत्यवीर चौधरी।

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी की और से श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की और से श्री नरेन्द्र कुमार मांडैया की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 16.12.2025 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ है। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी कि जाती है।

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की आराजी खाता संख्या 165 के खसरा नम्बर 615 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त पार्वती पुत्र अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार बकाश्त छीतर मंगी पुत्र श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकि बदस्तूर बलबीरसिंह इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** एवं खाता संख्या 167 के खसरा नम्बर 591 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सम टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** व खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 68, 69 में वादीगण समस्त के नाम साकिन देह खातेदार के बाद **"अ0विव0 शादीराम हीरालाल ग्यारसी पि0 प्रसादा जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 ख0न0 हाल 68, 69 छीतर पुत्र मोहकम जाट शिकमी साल 8.5" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तथा **राजस्व रिकॉर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **16.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) खैरथल–तिजारा

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)